(4) से 8

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश सुराणा (RAS)
प्रकरण संख्या– 18/2015 व 19/2015 प्रा.प.

दायर दिनांक– 17.09.2015
निर्णय दिनांक– 05.05.2016

1. श्री मदनलाल पिता स्व. श्री रामा भोई निवासी ऋषभदेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमति जमना बेवा स्व. श्री रामा भोई निवासी ऋषभदेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री शंकर पिता स्व. श्री रामा भोई निवासी ऋषभदेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री गिरधारी पिता स्व. श्री रामा भोई निवासी ऋषभदेव तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. श्री कचरू पिता नगजी पटेल निवासी सुरखण्ड खेडा, तहसील सराडा हाल लौहारवाडा, ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव

– अप्रार्थीगण –

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 RT Act
प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रकरण में दो तरफा कार्यवाही किये जाने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण (प्रार्थीगण) ने आप न्यायालय में उपरोक्त अनवान का एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 RT Act व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act के तहत प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें विगत पेशी दिनांक 06.08.2015 नियत थी। लेकिन दिनांक 06.08.2015 को अनुपस्थित रहने के कारण वादीगण का उक्त प्रकरण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है। उक्त विगत पेशी दिनांक 06.08.2015 को वादी सं. 4 गिरधारीलाल भोई का पेट का ऑपरेशन होने के कारण सभी वादीगण वादी संख्या 4 के साथ ईलाज के लिए हॉस्पीटल में थे और इसी परिस्थिति की वजह से वादीगण आप न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। वादीगण ने न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं होने में जानबूझ कर कोई चूक नहीं की है वरन् परिस्थितिवश ही ऐसा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण के वाद में अनुपस्थिति दर्ज कर मामला अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है, उसे पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। उक्त प्रकरण को नम्बर पर लिये जाने से ही न्याय की मंशा पूर्ण होगी। प्रकरण के पुनः नम्बर पर लिये जाने में प्रतिवादीगण के किसी भी हकाधिकार एवं सुखाधिकार का हनन् होने वाला नहीं है। वादीगण की मंशा प्रकरण में किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित करने की नहीं रही है, बल्कि उक्त कारण वाजिब है। प्रकरण में आगामी पेशी पर वादीगण बराबर उपस्थित होते रहेंगे। प्रार्थना–पत्र युक्ति–युक्त आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दो तरफा कार्यवाही की जावे। प्रार्थना–पत्र के ताईद में शपथ–पत्र प्रस्तुत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेकर दो तरफा कार्यवाही का आदेश दिया जावे।

अप्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा वादी संख्या 4 का पेट का

ऑपरेशन होना बताया है लेकिन प्रार्थना–पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज (रिकार्ड) पर नहीं है। वादीगण सं.–1 तथा उनके अधिवक्ता दोनों न्यायालय में उपस्थित थे तथा उन्हें एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी होते हुए भी प्रार्थना–पत्र विलम्ब से पेश किया है। वादीगण व उनके अधिवक्ता को पूर्ण रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी होते हुए भी प्रकरण में कोई ध्यान नहीं दिया है, अतः जो कार्यवाही हुई, वह सही है। प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज किया जावे। जवाब के ताईद में शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि विगत पेशी दिनांक 06.08.2015 को वादी सं. (3) शंकर पुत्र रामा बीमार था, इसलिये वादी सं. (3) तथा अन्य वादीगण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके। वादी सं. (3) की बीमारी बाबत कल्पना नर्सिंग होम उदयपुर की मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट आदि वादी सं. (3) (प्रार्थी) द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर रखी है। अधिवक्ता वादीगण (प्रार्थीगण) भी उक्त तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को उदयपुर स्थित न्यायालय में अन्य न्यायिक कार्यो में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो सके थे। अंत में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विगत तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को वादीगण (प्रार्थीगण) तथा उनके अधिवक्ता अपरिहार्य कारणवश तथा मजबूरीवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। वादीगण जान–बूझ कर या लापरवाहीवश न्यायालय से अनुपस्थित नहीं रहे है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर दो तरफा कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत (defective) प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण (प्रार्थीगण) का वाद दिनांक 06.08.2015 को वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था जबकि प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा एकतरफा वाद सुनवाई (Exparte Order) को दोतरफा कराने हेतु यह प्रासंगिक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। यह भी कि वादीगण (प्रार्थीगण) का वाद दिनांक 06.08.2015 को खारिज हुआ था तथा वादीगण (प्रार्थीगण) द्वारा एक माह से अधिक की अवधि उपरांत दिनांक 15.09.2015 को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि मियाद बाहर है। लेकिन इस विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु वादीगण (प्रार्थीगण) द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि अनिवार्य था। विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि एकतरफ तो प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र की कलम सं. (3) में वादी सं. (4) गिरधारीलाल के पेट का ऑपरेशन होने की वजह से उसके तथा अन्य वादीगण (प्रार्थीगण) के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकने का कथन किया है लेकिन दूसरी तरफ बहस में वादी सं. (3) शंकर पुत्र रामा को विगत तारीख पेशी दिनांक 06.08.2015 को बीमार होना बताया तथा प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट भी शंकरलाल का ही प्रस्तुत किया है, न कि वादी सं. (4) गिरधारीलाल का जैसा कि प्रार्थना–पत्र के कलम सं. (3) में वर्णित है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण (प्रार्थीगण) का प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से तथा झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय वाद सुनवाई (Exparte Order) को दोतरफा कराने हेतु यह प्रासंगिक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि न्यायालय द्वारा वादीगण (प्रार्थीगण) का वाद दिनांक 06.08.2015 को वादीगण की अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया था, न कि वादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही (Exparte Order) के

आदेश पारित किये गये थे। स्पष्ट है वादीगण (प्रार्थीगण) को अपने प्रकरण को रेस्टोर कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा गलत (defective) शीर्षक/नियमों के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही को दोतरफा कराने हेतु यह डिफेक्टिव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि कानूनन मेन्टनेबल नहीं है। यह भी कि दिनांक 06.08.2015 को वाद खारिज हो जाने के 40 दिनों के बाद यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन एक माह के पश्चात की विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु वादीगण (प्रार्थीगण) द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना–पत्र पृथक से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि कानूनन अपेक्षित था। यह भी कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र की कलम सं. (3) में वादी सं. (4) गिरधारीलाल भोई की बीमारी की वजह से न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाने की मजबूरी अंकित की है जबकि दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वादी सं. (3) शंकर पुत्र रामा की बीमारी की वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाने का कथन किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट भी श्री रामा पुत्र शंकर का ही प्रस्तुत किया है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो स्थितियां परस्पर विरोधाभासी है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कलम सं. (3) में वर्णित बीमारी संबधित तथ्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकट) से सिद्ध नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों व विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (वादीगण) का यह प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टनेबल तथा प्रमाणिक नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर
ऋषभदेव